



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624 फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 3100

बिलासपुर, दिनांक 15/11/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू-प्रबंध)
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय : Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Project Phase II Katghora Forest Division. Forest Land required for Optical Fiber Cable laying work under BBNL For providing broadband Connectivity of Ponda Uproda Bloc s to Gram Panchayats. Area 21.431 ha. **Registration No. FP/CG/OFC/59432/2020.**

संदर्भ : वनमण्डलाधिकारी कटघोरा का पत्र क्र./तक./2626 दिनांक 29.10.20 1, प्राप्ति दिनांक 09.11.2021

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य Optical Fiber Cable Line हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार आवेदक इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया है विवरण निम्नानुसार है :-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव			
क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	01	आवेदनकर्ता, इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर छ0ग0 द्वारा 21.431 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।
2	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड वर्ष पंजीयन क्रमांक	02-03	रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/59432/2020 आवंटित किए गए हैं।
3	3 वन क्षेत्र विवरण	4-10	संलग्न है।
4	गैर वनक्षेत्र विवरण	11-12	संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोग्राफी 1:50000 स्केल पर	13-31	संलग्न है।
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप	32-76	संलग्न है।
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव	77-83	संलग्न है।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	84-86	संलग्न है।
9	न्यूनतम वन क्षेत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र	87	संलग्न है।

10	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही	88	संलग्न है।
11	वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा	89-104	संलग्न है।
12	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र	105	संलग्न है।
13	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	106-109	संलग्न है।
14	जिले की कुल वन भूमि	110	कोरबा जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) वन भूमि रकबा 205090.100 हे. है।
15	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि	111	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 3774.223 हे. है।
16	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि	112	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि 0.338 है।
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी	113	संलग्न है।
18	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	114-116	संलग्न है।
19	राजस्व वैन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	117-121	संलग्न है।
20	पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण	122	संलग्न है।
21	राष्ट्रीय उद्यान /वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंदर से जो ओ एफ सी गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा	123-193	संलग्न है।

प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेब साइट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्र./तक./ 3101

प्रतिलिपि :- 1. वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा की ओर सूचनार्थ।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. इण्डोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) सिविल लाइन रायपुर छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
बिलासपुर/दिनांक 15/11/2021

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर छ0ग0 द्वारा कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग में वनभूमि पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 21.431 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित संरक्षित, नारंगी एवं राजस्व वनभूमि 21.431 हे. Optical Fiber Cable Line का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित

दिनांक 12.11.2021


(नवीद शुजाउद्दीन) भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर